(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खंड 3, उप खंड-(i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं०15/2017-सेवाकर

दिनांकः 13 अप्रैल, 2017

सा.का.नि.....(अ)- वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 68 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खंड 3, उप खंड-(i) में दिनांक 20 जून, 2012 को सा.का.नि.सं० 472(अ), के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की 20 जून, 2012 की अधिसूचना सं० 30/2012-सेवाकर में एतदद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

1. उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण III और IV के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"स्पष्टीकरण III.- करादेय भू-क्षेत्र में अवस्थित कारोबारी संगठन जो कि वादकर्ता, आवेदक अथवा याचिकाकर्ता जैसा भी मामला हो, है, को वह व्यक्ति माना जाएगा जो कि इस अधिसूचना के आशय से विधिक सेवाएं प्रदान करता है।

स्पष्टीकरण IV.- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए 'गैर-निर्धारती ऑनलाइन प्राप्तकर्ता' का अर्थ वही है जो सेवा कर नियमावली, *1994* के नियम 2 के उप-नियम 1 के उपवाक्य (गगखक) में इसके लिए दिया गया है।

स्पष्टीकरण V.- इस अधिसूचना के उद्देश्य से गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति द्वारा गैर कर लगने योग्य भू-क्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति को भारत से बाहर अवस्थित स्थान से भारत में स्थित निकासी के सीमाशुल्क स्टेशन पर समुद्री जहाज द्वारा वस्तुओं के परिवहन के माध्यम से दी गई सेवाओं अथवा दिए जाने के लिए सहमति व्यक्त की गई सेवाओं के संबंध में सेवाकर अदा करने के लिए सेवा प्रदाता से भिन्न दायी व्यक्ति आयातक होगा जैसा कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 2 के उपवाक्य(26) में परिभाषित है।"

2. यह अधिसूचना 23 अप्रैल, 2017 से लागू होगी।

(फा०सं० 354/42/2016-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी: प्रधान नियम दिनांक 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 30/2012-सेवाकर के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 20 जून, 2012 की सा.का.नि. सं 472(अ), के तहत प्रकाशित किए गए थे और इनमें दिनांक 12 जनवरी, 2017 को सा.का.नि.सं॰ 26(अ) के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना संख्या 3/2017-सेवाकर, दिनांक 12 जनवरी, 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।